फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

संतोष वगै0 बनाम प्रेमा वगै0

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. मुकदमा न0 91/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2021	पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली में आदेश दिया जाना नियत है पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों की ताइद करते हुये बताया विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक कृषि भूमि है जिसका मौके पर विभाजन कर रखा है विभाजन में प्रार्थीगण को बीच का 1/3 हिस्सा प्राप्त है जिसमें मकानात बनाकर आबाद है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है तथा पक्षकारों के मध्य अनेक फौजदारी प्रकरण हो चुके है। मौके पर काफी तनाव है कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा को भी नही मान रहे है इसलिये भूमि इनमिडीयो है जिसको खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिये विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जाराज लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अन्त मे प्रार्थीगण के वकील ने बहस के दौरान विवादित भूमि खसरा न0 321 रकबा 7.26 है0 मौजा ग्राम कुलोठ कला पर रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जाराज लिये जाने का निवेदन किया है। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, प्रार्थीगण द्वारा पेष दस्तावेजों का अध्ययन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आये है प्रार्थीगण के अभिवचनो का कोई खण्डन भी नही किया। पत्रावली पर पेश पुलिस थाना सूरजगढ़ धारा 107, 116,151 जाब्ता फौजदारी तथा कुल 3 एफआईआर न0 26/16 दिनांक 20. 01.2016, 316/15 दिनांक 02.12.2015 व 290/16 दिनांक 02.10.2016 उक्त भूमि के कब्जे व काश्त को लेकर पुलिस थाना सूरजगढ़ में दर्ज हुई है। विवादित भूमि को लेकर कभी भी खुन–खराबा, शांति भंग हो सकती है तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट से यह साबित है कि प्रार्थीगण अपना 1/3 हिस्सा जो मध्य में स्थित है पर काबिज काश्त है विवादित भूमि के कब्जे को लेकर पक्षकारो के मध्य तनाजा परिलक्षित होता है। अप्रार्थीगण वाद के लम्बित रहते विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने या उसे हानि पहुचाने का अंदेशा है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा को पर्याप्त नही समझा गया हो प्रस्तुत प्रकरण में रिसीवर के नियुक्त करने की परिस्थितियॉं विद्यमान है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 321 रकबा 7.26 है0 वाके ग्राम कुलोठ कला के लिये तहसीलदार सूरजगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेश दिया जाता है िकवह उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसकी काश्त की व्यवस्था [illegible] आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त करे। यह भी आदेश [illegible] की यदि इस भूमि पर कोई आवासीय मकान ब[illegible] रिसीवर से अलग रखा जाये। तहसीलदार सूरज[illegible] आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प[illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner